न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 3/2015 (75 एलआरए) गोपाराम वगै. बनाम ग्राम पंचायत उम्मेदनगर वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2015/00110)

1 गोपाराम पुत्र पूनाराम,
2 गंगाराम पुत्र पूनाराम,
3 गोविंदराम उर्फ गोमदराम पुत्र पूनाराम,
4 चंद्राराम पुत्र पूनाराम,
5 कोजाराम पुत्र पूनाराम,
6 भूराराम पुत्र पूनाराम,
7 धन्नाराम पुत्र पूनाराम,
8 बाबूराम पुत्र बींजाराम,
9 ढलाराम पुत्र बुधाराम

सभी जाति मेघवाल निवासीगण उम्मेदनगर तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 ग्राम पंचायत उम्मेद नगर जरिए सरपंच,
2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तिंवरी।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसियां दिनांक 10.06.2008 व 1.10.2008 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. निल/2008, आदेश क्रमांक राजस्व/गोचर/आरक्षित/413–16 दिनांक 10.6.2008 व संशोधित समसंख्यक आदेश क्रमांक 1271–14 दिनांक 01.10.2008

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।
2 रेस्पो. सं. 1 व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 13.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

13/9
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसियां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. निल/2008 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2008 व 1.10.2008 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया एवं अपील पेश करने की अनुमति के लिए धारा 96 सी.पी.सी के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स की कब्जा शुदा भूमि खसरा नं. 413 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नं. 415 रकबा 62 बीघा किस्म गै.मु. भाखर ग्राम उम्मेद नगर में आई हुई है। जिस पर कब्जा काश्त 20 वर्षों से अधिक समय से अपीलांट्स का चला आ रहा है। पिछले ग्राम पंचायत के चुनाव में ग्राम पंचायत उम्मेद नगर का सरपंच अपीलांट्स के विरोधी पक्ष का चुना गया, जिसने अपीलांट्स को नुकसान पहुंचाने की नियत से अपीलांट्स की कब्जा शुदा भूमि को गोचर भूमि दर्ज करने के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर एक प्रार्थना–पत्र सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसिंया को पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए अपीलांट्स की कब्जा शुदा भूमि खसरा नं. 413 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 415 रकबा 62 बीघा मे से 61 बीघा 15 बिस्वा को गोचर भूमि घोषित करने का अपीलांट को बिना सुनवाई एवं बिना पक्षकार बनाए आदेश दे दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2008 व 1.10.2008 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज़ मियाद एवं अपील पेश करने की अनुमति के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कब्जे की जांच नहीं की गई केवल ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ही आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। विवादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के कब्जे में हैं जिस पर उप तहसीलदार तिंवरी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के जुर्म में अपीलांट्स को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत नोटिस दिया गया था, जिस पर

13/9
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स ने जवाब प्रस्तुत कर भूमि खसरा नं. 413 में करीब 30 बीघा व खसरा नं. 415 में 62 बीघा भूमि पर पुराने कब्जा होने के आधार पर अपीलांट्स के नाम नियमन करने का निवेदन किया, जिस पर उप तहसीलदार, तिंवरी ने भूमि खसरा नं. 413 व खसरा नं. 415 की अपीलांट्स सं. 1 से 7 के पक्ष में 7 बीघा नियमन करने के लिए कमेटी के पास भेजने का आदेश पारित किया है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है। भूमि की किस्म बदलने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। अपीलांट्स गरीब अनुसूचित जाति के गरीब काश्तकार हैं जिनको कब्जा शुदा भूमि से बेदखल करने लिए अपीलाधीन आदेश राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर पारित किया गया है। अपीलांट्स के कब्जा सुदा भूमि पर अपीलांट्स के मकान व घर बने हुए हैं, जिसमें अपीलांट्स का रहवास है एवं अपीलांट्स के नाम कहीं भी खातेदारी भूमि नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश की अपीलांट्स को जानकारी नहीं थी। अभी हाल ही में दिनांक 28.02.2015 को अपीलांट्स द्वारा पटवारी हल्का से नियमन संबंधी जानकारी पूछने पर पटवारी हल्का ने बताया कि आपकी कब्जे की भूमि सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा गोचर भूमि दर्ज करने का आदेश हो गया है इसलिए अब नियमन नहीं हो सकता है। तब अपीलांट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां के न्यायालय में जाकर आदेश की जांच पड़ताल की एवं दिनांक 02.03.2015 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश की नकल ली तब अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट्स खसरा नं. 413 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नं. 415 रकबा 62 बीघा ग्राम उम्मेद नगर में करीब 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज हैं मौके पर उनकी ढाणियां बनी हुई हैं मौके की स्थिति मंगाए बिना ही व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जिससे अपीलांट्स प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार हैं। अतः अपील पेश करने का प्रार्थना पत्र धारा 96 स्वीकार करने का निवेदन किया तथा जानकारी की तिथि से अपील अंदर मियाद पेश की गई है। अपील में आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए

13/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मैरिट पर स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपीलांट्स अतिक्रमी हैं एवं नियमन की सिफारिश करने मात्र से इनका कोई वादग्रस्त भूमि पर अधिकार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सरपंच ग्राम पंचायत की ओर से गोचर भूमि घोषित करने के लिए ग्राम उम्मेद नगर के खसरा नं. 415, 413, 455, 513, 503/1, 414, 533, 464 व 456 की भूमि के लिए पारित प्रस्ताव के आधार पर एवं 30 दिन का उजरदारी नोटिस में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के आधार पर भूमि को गोचर भूमि घोषित करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2008 पारित किया गया है। तथा तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट पर संशोधन आदेश दिनांक 01.10.2008 पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। तदनुसार अपील खारिज योग्य है। अपील अंदर मियाद भी नहीं हैं तथा अपीलांट्स को उक्त अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 व अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज करने का भी निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस प्रकरण में अपीलांट्स का कथन है कि वह प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अपीलांट्स खसरा नं. 413 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नं. 415 रकबा 62 बीघा ग्राम उम्मेद नगर में करीब 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज हैं मौके पर उनकी ढाणियां बनी हुई हैं। मौके की स्थिति मंगाए बिना ही व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करना बताया है तथा जिससे अपीलांट्स प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार हैं। अपील के साथ ढाणियों व मकानों के फोटो ग्राफ भी पेश किए हैं। लेकिन अपीलांट्स ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक व अधिकार हो। अपीलांट्स स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे वाद ग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी हैं तो उन्हें वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि को गोचर भूमि घोषित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक माह की अवधि का सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस जारी किया गया था जिस पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। अतः इस प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। वाद ग्रस्त भूमि

4/13/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय भूमि है व अपीलांट का इस भूमि पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। तहसीलदार द्वारा उनके कब्जे की भूमि की नियमन की सिफारिश करने मात्र से उनके पक्ष में कोई हक या अधिकार तय नहीं किए गए हैं वे केवल अतिक्रमी हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार प्रतीत प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र धारा 96 स्वीकार योग्य नहीं हैं। इस अपील में दूसरा बिंदु यह है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। लेकिन अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपीलांट्स की ओर से धारा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें अपील देरी से पेश होने का कारण उनको अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। तथा दिनांक 28.02.2015 को अपीलांट्स द्वारा पटवारी हल्का से नियमन संबंधी जानकारी पूछने पर पटवारी हल्का ने बताया कि आपकी कब्जे की भूमि सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा वादग्रस्त भूमि को गोचर भूमि घोषित कर दी गई है। अब नियमन नहीं हो सकता है। तब अपीलांट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां के न्यायालय में जाकर आदेश की जांच पड़ताल की एवं दिनांक 02.03.2015 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश की नकल ली तब अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। लेकिन राजकीय अधिवक्ता ने अपील को मियाद बाहर बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2008 का है तथा अपीलांट्स द्वारा अपील 04.03.2015 को पेश की गई है जिसमें काफी अधिक बिलंब है जिसे माफ करने के लिए कोई ठोस आधार पेश नहीं किए हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अविश्वसनीय होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अपीलांट व रेस्पोंडेंट के कथनों की सत्यता के परीक्षण के लिए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमियों की ओर से दिनांक 29.09.2008 को एक शिकायती पत्र पेश किया गया था जिस पर अपीलांट्स में से कोजाराम व चन्द्राराम के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपील सं 85/2008 का निर्णय भी संलग्न है जिससे यह ज्ञात होता है कि इसी भूमि से संबंधित पूर्व में भी एक अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के यहां हुई थी इस अपील में कोजाराम पुत्र पूनाराम मेघवाल अपीलांट था। यह अपील दिनांक 18.02.2009 को खारिज की जा चुकी थी। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के बारे में अपीलांट्स का 29.09.2008 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी तथा इस आदेश की अपील भी पूर्व में उन्होंने की थी जो 18.02.2009 को

13/9
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खारिज हो चुकी थी। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से धारा–5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन गलत सिद्ध हो जाते हैं। अपीलांट्स ने तथ्यों को छुपाकर गलत आधार पर धारा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो स्वीकार योग्य नहीं हैं।

अतः प्रस्तुत अपील में धारा 96 सी.पी.सी का अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र एवं धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील पेश करने की अनुमति नहीं होने एवं अपील मियाद बाहर होने से अपील खारिज योग्य पाई जाती है। अतः अपील के गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं हैं।

8 अतः प्रस्तुत अपील में धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज होने व अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

13/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 13.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर